न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 1/2018

उनवान

1 गोपाल सिंह
2. कान सिंह पि0 धूल सिंह
3. शैतान सिंह पुत्र अर्जुन सिंह
4 लाली पत्नी मान सिंह
5. महावीर सिंह पुत्र मान सिंह जाति राजपूत नि0 ग्राम दिलवाडी, नसीराबाद

—— प्रार्थीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. रामप्रसाद पुत्र देवा
2. गोपाल पुत्र देवा (फौत)
2/1. सोनू ना.बा.पुत्री गोपाल
2/2. दिनेश ना.बा. पुत्री गोपाल जरियें संरक्षक रामप्रसाद जाति गुर्जर नि0 ग्राम दिलवाडी, नसीराबाद
3. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

<u>आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

–: आदेश :– दिनांक :– 15.09.20

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम दिलवाडी के हाल खसरा नम्बर 1610 रकबा 0.18, व खाता संख्या 68/65 किता 21 रकबा 7.23 की आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी की है। उक्त आराजी पर आवागमन हेतु प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के खातेदार खसरा नम्बर 1679 व 1689 की भूमि का उपयोग किया जा रहा है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर आवागमन हेतु व कृषि कार्य सम्पन्न करने के लिये अन्य काई मार्ग उपलब्ध नही है। भंवर कंवर पत्नी धूल सिंह के विधिक वारिस प्रार्थीगण ही है। अतः प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के खातेदारी खसरा नम्बर 1679 व 1689 में से 20 फुट चौडा रास्ता दिलवाये जाने की कृपा करावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज [illegible] कर [illegible] को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रार्थना पत्र विचारण के दौरान अप्रार्थी संख्या 2 की [illegible] हो जाने से उसके वारिसान को प्रकरण में पक्षकार मुर्तिब किया गया। अप्रार्थीगण ने जरियें अधिवक्ता जवाब पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण की भूमि हाल खसरा नम्बर 1679 व 16[illegible] के पश्चिमी दिशा में [illegible] सडक बनी हुई है जो दक्षिण से उत्तर को जाती है। तथा उक्त सडक प्रार्थी के चाह खसरा नम्बर 1575 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.01.21 16:35:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

0.05 व खेतों पर होकर निकलती है। खसरा नम्बर 1679 व 1689 में मध्य 20 फुट चौडी पाल स्थित है जिस पर से आराम से आवागमन किया जा सकता है। प्रार्थीगण के खेतों की पूर्वी दिशा में 20 फुट चौडी सरकारी भूमि है जिस पर से भी आवागमन किया जा सकता है। प्रार्थीगण के पास आवागमन हेतु अन्य रास्ता उपलब्ध होने के बावजूद भी अप्रार्थीगण की भूमि हडपने की नियत से यह प्रार्थना पत्र. पेश किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

भू अभिलेख निरीक्षक ने प्रकरण में मौका रिपोर्ट पेश की। मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण की आराजी पर पहुचने बाबत ख0न0 1679 में से 52 मीटर लम्बा व 6 मीटर चौडा कुल 312 व0मी0 व ख0न0 1689 में से 54 मीटर लम्बा व 6 मीटर चौडा कुल 324 व0मी0 भूमि मार्ग के उपयोग में ली जावेगी। उक्त दोनो ख0न0 का रकबा 636 व0मी0 लिया जाना है। प्रस्तावित मार्ग हेतु ली जाी वाली भूमि की डी0एल0सी0 दर से राशि 43160/ होती है। चाहे गये रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है। अन्य वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नही है। तहसीलदार नसीराबाद द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के नजरी नक्शे में अप्रार्थी की आराजी से प्रार्थी की आराजी के बीच की भूमि की स्थिति अंकित नही होने के कारण प्रकरण में भू0 अभिलेख निरीक्षक दिलवाडा से पुनः रिपोर्ट ली गयी जिसके अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी की आराजी के बीच खसरा नम्बर 1581 रकबा 0.29 किस्म गै0मु0 पाल भी स्थित है जो राजस्व अभिलेख में नाथू सिंह, राम सिंह, देवी सिंह पि0 बाघ सिंह के नाम दर्ज है।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्धान अधिवक्तागण के तर्को पर मनन किया। मौका रिपोर्ट दिनांक 20.06.18 अनुसार चाहे गये रास्ते की प्रार्थी को आत्यंतिक आवश्यकता है। अन्य वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नही है। किन्तु मौका रिपोर्ट के नजरी नक्शे में अप्रार्थी की आराजी से प्रार्थी की आराजी के बीच की भूमि की स्थिति अंकित नही होने के कारण प्रकरण में भू0 अभिलेख निरीक्षक दिलवाडा से पुनः रिपोर्ट ली गयी जिसके अनुसार प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 1610 व अप्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 1679 व 1689 के बीच खसरा नम्बर 1581 रकबा 0.29 किस्म गै0मु0 पाल भी स्थित है जो राजस्व अभिलेख में नाथू सिंह, राम सिंह, देवी सिंह पि0 बाघ सिंह के नाम दर्ज है। ख0न0 1581 के खातेदारों को प्रकरण में पक्षकार मुर्तिब नही किया गया है। साथ ही गै0मु0 पाल प्रतिबंधित क्षेणी में होने के कारण पाल में से रास्ता दिया जाना न्यायोचित नही है। ख0न0 1679 व 1689 तक ही रास्ता देने से भी प्रार्थीगण के खेत तक रास्ता नही मिलता है।

उक्तानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.01.21 16:35:34 IST
Reason: SelfAttested